



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 409]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2015—आश्विन 14, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-2-13-2012-61-लोसेप्र-पी.एस.जी.-17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम-9 में लघु श्रेणी उद्योगों के विनिर्माणकर्ता और पुनः चक्रणकर्ता का पंजीकरण।	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	45 कार्य दिवस।	सदस्य सचिव म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल।	30 कार्य दिवस।	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम-9 में वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के विनियोगकर्ता और पुनः चक्रणकर्ता का पंजीकरण.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.